(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 249 | **नई दिल्ली** | **18 दिसंबर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा अपने दरमान की संशोधन करने/समीक्षा करने हेतु मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निबटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/6/2009 - एमबीपीटी

मुबंई पत्तन न्यास --------- **आवेदक**

आदेश

(दिसंबर, 2009 के 27 वें दिन पारित)

यह मामला अपने दरमान मे संशोधन करने /समीक्षा करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितंबर, 2006 के अपने आदेश के द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (एम बी पी टी) के दरमान को दिनांक 31 मार्च, 2009 तक की वैधतावाली अवधि के साथ अधिसूचित किया था ।

2.2 एमबीपीटी ने 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2009 के अपने पत्र के द्वारा प्रस्ताव दाखिल किया । इस प्रस्ताव को संबंधित उपभोक्ताओं /उपभेक्ताओं के संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए रखा गया । प्राधिकरण के दिनांक 27 मार्च, 2009, 28 जुलाई, 2009 और 23 अक्टूबर, 2009 के आदेशों के द्वारा प्रचलित दरमान की वैधता को भी 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित किया था।

2.3 दिनांक 31 मार्च 2009 के अपने पत्र द्वारा एमबीपीटी ने, विभिन्न कारणों से, अपने वर्तमान दरमान को 31 दिसंबर 2009 तक जारी रखने और दिनांक 30 जनवरी 2009 का अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति मांगी थी।

2.4 चूँकि एमबीपीटी की दरमान की समीक्षा पहले से ही अपेक्षित है और औपचारिक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, इस प्राधिकरण ने विचार किया है कि संबंधित पक्षकारों की बहस/ दलीलें सुनने के बाद ही औपचारिक कार्यवाही की प्रक्रिया को खत्म करना उचित होगा। तदनुसार, एमबीपीटी को सूचित किया गया एवं सलाह दी गई कि यदि आवश्यक समझे तो अपने प्रस्ताव को अद्यतन कर सकते हैं।

3.1 एमबीपीटी दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 और 31 अक्टूबर, 2009 के अपने पत्रों के द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हैं। इसके बाद, पत्तन ने दिनांक 9 नवबंर, 2009 के अपने पत्र के द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि प्राधिकरण दिनांक 30 अक्ठूबर, 2009 के उसके प्रस्ताव को नवीन प्रस्ताव समझें ।

3.2 यह उल्लेखनीय है कि एमबीपीटी के न्यासी मंडल ने दिनांक 24 मार्च, 2009 के संकल्प संख्या-34 के द्वारा, 30 जनवरी 2009 के दाखिल प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है।

3.3 चूँकि पत्तन ने एक नवीन प्रस्ताव दाखिल किया है, यह जरूरी है कि परामर्शी प्रक्रिया नए सिरे से आंरभ की जाए नवीन प्रस्ताव को पिछली कार्यवाही की प्रक्रिया का हिस्सा समझने से कोई लाभ नहीं होगा।

4. परिणामस्वरूप, उपरोक्त दिये गये कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण दिनांक 30 जनवरी, 2009 को एमबीपीटी के द्वारा दाखिल प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, ऐसे समझते हुए प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही की प्रक्रिया को बंद करती है।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा